सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/160/2013/एफ.सी. /487 दिनॉक:02.11.2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय : पावर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0 द्वारा 765 के0वी0 डी0सी0 वाराणसी–कानपुर (पार्ट–2) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत 0.9045 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 07 वृक्षों के पातन की अनुमति, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत 1.2730 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 83 वृक्ष तथा 197 पौधों के पातन की अनुमति तथा जनपद रायबरेली के अन्तर्गत 0.8777 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 09 वृक्षों के पातन की अनुमति इस प्रकार कुल 3.0552 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 99 वृक्ष तथा 197 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–865/11–सी–60, दिनांक–24.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–938/11–सी–60, लखनऊ, दिनांक–07.11.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–03.01.2014 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार पावर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0 द्वारा 765 के0वी0 डी0सी0 वाराणसी–कानपुर (पार्ट–2) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत 0.9045 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 07 वृक्षों के पातन की अनुमति, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत 1.2730 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 83 वृक्ष तथा 197 पौधों के पातन की अनुमति तथा जनपद रायबरेली के अर्न्तगत 0.8777 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 09 वृक्षों के पातन की अनुमति इस प्रकार कुल 3.0552 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 99 वृक्ष तथा 197 पौधों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग के द्वारा दुगुने अवनत वन क्षेत्र (3.0552 x 2 = 6.1104 हे0) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।
6. पारेषण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way) की चौड़ाई 67 मीटर तक सीमित रहेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायगा।

8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

13. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

02.11.18

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर, फतेहपुर एवं रायबरेली, उ0 प्र0।
4. प्रबन्धक (निर्माण), पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0, 400/200 के0वी0 उपकेन्द्र, कालपी रोड, ग्राम–भौंती, पोस्ट–चकरपुर, कानपुर–209305
5. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 988/11–सी–60, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 12,2018

प्रतिलिपिः–

1– **प्रमुख सचिव (वन), उ0प्र0 शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, लखनऊ को प्रस्ताव की एक प्रति एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयगत प्रकरण में विज्ञप्ति निर्गत करने की कृपा करें।**

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं कानपुर मण्डल, कानपुर तथा वन संरक्षक, सा0वा0 वृत्त, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, कानपुर, फतेहपुर एवं रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. प्रबन्धक (निर्माण), पावर ग्रिड कार्पो. आफ इण्डिया लि0, 400/220 के.वी. उपकेन्द्र, कालपी रोड, ग्राम–भौंती, पोस्ट–चकरपुर, कानपुर–209305 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/11

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।